न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद-संख्या : 49ए/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01. भाकर राम पुत्र श्री बस्ताराम जाति पटेल निवासी ग्राम सर तहसील लूणी		01.बीजाराम पुत्र बस्ताराम जी 02कानाराम पुत्र बस्ताराम जी 02. नरीग राम पुत्र बस्ताराम जी 03. मागीया के कायम मुकाम 4/1 रूपाराम पुत्र मागीलाल 4/2 फुलाराम पुत्र मागीलाल 4/3 चुतराराम पुत्र मागीलाल 4/4 सतोष पुत्री मागीलाल 4/5 सुगना पुत्री मागीलाल सभी जाति पटेल निवासी ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर 05 तहसीलदार लूणी।

दावा वास्ते खातेदारी धोषणा बटवाडा एव स्थाई निषेधाज्ञा उपस्थिति –

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री भवरलाल चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित।

आदेश दिनांक :– 3/11/2021

उपरोक्त अनवान वाद में वादी की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

01. यह है कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 से 4 सभी एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व वेनाराम व बस्ताराम जी के वारिसान है तथा ग्राम सर के स्थाई निवासी है।

02.यह है कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 से 4 सयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम सर पटवार क्षेत्र सरेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा सं 350 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा , खसरा संख्या 356 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 362 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा , खसरा संख्या 363 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 372 रकबा 17 बीघा , खसरा संख्या 380 रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा , खसरा संख्या 438 रकबा 48 बीघा 04 बिस्वा, कुल खसरान 8 कुल रकबा 146 बीघा एक बिस्वा आई हुई है, जिसे आगे इस वाद पत्र में वाग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा।

03. यह है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/10 वॉ हिस्सा आता है तथा उक्त हिस्से पर वादी कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 4 मांगिया का 1/2 हिस्सा आया हुआ है तथा प्रतिवादी सं 1 ता 4 प्रत्येक का 1/10 वा हिस्सा आया हुआ है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है।

04. यह है कि उक्त कृषि भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2024 से 2027 में मांगीया पुत्र वेना तथा बस्तीया पुत्र गुमना के खातेदारी की दर्ज है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

इस प्रकार वादी के पिता स्व बस्ताराम जी का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा आया हुआ है। वादी के पिता बस्ताराम जी का स्वर्गवास करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 स्व बस्ताराम के वारिसान है। इस आधार पर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी सहित प्रतिवादी सं 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा बनता है । इस आधार पर उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/10 वा हिस्सा आया हुआ है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/10 वे हिस्से पर वादी आज भी कब्जा काश्त है।

05. यह है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के अपने हिस्से पर वादी इस वर्ष काश्त करने हेतु जब दिनांक 26.07.2006 को अपने हिस्से की कृषि भूमि पर तैयारी कर रहा था, तब ही प्रतिवादी सं 2 व 3 एकराय होकर आये और वादी को काश्त करने से रोकने का प्रयास किया और कहा कि तुम्हारा उक्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में तुम्हारा कोई हिस्सा नही आया हुआ हैं उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम ही है। इस कारण उक्त वादग्रस्त भूमि में तुम्हारा कोई अधिकार नही बनता है इस पर काश्त नही कर सकते हो इस पर वादी ने पटवारी सरेचा से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की तो वादी यह जानकर दंग रह गया कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 2 व 3 का ही नाम है। स्व0 बस्ताराम के अन्य वारिसान का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में नाम नही है।

06. यह है कि वादी स्व बस्ताराम जी का पुत्र है तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि स्व बस्ताराम के खातेदारी की कृषि भूमि थी । इस कारण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति है और इस आधार पर वादी का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/10 हिस्सा बनता है जिस पर वादी बस्ताराम के स्वर्गवास के पश्चात् कब्जा काश्त है।

07. यह है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मांगीया पुत्र वेना एवं बस्तीया पुत्र गुमना के सयुक्त खातेदारी की दर्ज थी, जिसकी जमाबंदी संवत 2024 से 2027 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो नामान्तरणकरण संख्या 100 दिनांक 30.05.1972 स्वीकृत होने से बंटवाडा अनुसार मांगीया पुत्र वेना का हिस्सा 1/2, कानाराम पुत्र बस्ताराम का हिस्सा 1/4 तथा नृसिंग राम पुत्र बस्ताराम का हिस्सा 1/4 दर्ज किया गया, जबकि वादी के पिता दवारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि प्रतिवादी सं 2 व 3 को हस्तातरित नही की थी, उसके बावजूद ग्राम पंचायत एवं राजस्व अधिकारियो ने अपने अधिकार से बाहर जाकर उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं 2 व 3 से मिलीभगत कर प्रतिवादी सं 2 व 3 ने नामान्तरकरण

अपने पक्ष मे स्वीकृत करवा दिया। जबकि ग्राम पंचायत को ऐसा नामान्तरणकरण स्वीकृत करने का कतई अधिकार प्राप्त नही था। नामान्तरणकर संख्या 100 के जरिये बस्तीया पुत्र गुमना के हिस्से की कृषि भूमि कानाराम पुत्र बस्ताराम तथा नृसिंग पुत्र बस्ताराम के नाम दर्ज कर दी गई, जब उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि कानाराम व नृसिग राम को किस आधार पर हस्तातरण की गई जिसका नामांतरण संख्या 100 बंटवाडा अनुसार भरा गया है , जबकि विधि अनुसार बंटवाडा सह खातेदारो के मध्य हो सकता है। उक्त नामान्तरण स्वीकृत होने से पूर्व प्रतिवादी सं 2 व 3 उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार नही थे। इस कारण उक्त नामान्तरण सं 100 विधि अनुसार भरा नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

08. यह है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं 4 के खातेदारी दर्ज है जबकि उक्त वादगस्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 4 का भी हिस्सा आया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है इस आधार पर वादी के द्वारा उक्त वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं बंटवाडे का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

09. यह है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 वा हिस्सा आया हुआ है जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 का सयुक्त हिस्सा है । इस आधार पर वादी का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/10 वा हिस्सा आया हुआ है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण कब्जाकाश्त है वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में बाई मिट्स एण्ड बांउड समान रुप से विभाजित कर राजस्व रेकर्ड में पृथक–पृथक दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 5 को दिये जावे। इस बाबत् वादी द्वारा उक्त वाद बाबत बंटवाडा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/10वा हिस्सा आया हुआ है जिस पर वादी कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं 2 व 3 उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी कर रहे है तथा वादी को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त करने से रोक रहे है। दिनांक 26.07.2006 को वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से में आई हुई भूमि पर काश्त करने हेतु जा रहा था तो प्रतिवादी सं 2 व 3 के द्वारा वादी को काश्त करने से रोकने का प्रयास किया तथा वादी ने जब प्रतिवादी सं 2 व 3 से समझाईश की कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से पर आई हुई भूमि पर काश्त कर रहा हूं तुम्हे ऐसा करने का अधिकार नही है तो प्रतिवादी सं 2 व 3

उपखण्ड एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

लडाई झगडे करने पर उतारु हो गये और वादी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न की, जिसके कारण वादी के दवारा उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

11. यह है कि वाद का वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं 2 व 3 के दवारा राजस्व अधिकारी से मिलीभगत कर नामन्तरणकरण सं 100 के जरिये अवैधानिक तरीके से बस्ताराम के हिस्से की कृषि भूमि पर का अपने नाम दकरवा ली तथा दिनांक 26.07.2006 को वादी को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त करने से रोकने का प्रयास किया गया तब उक्त वाद करण उत्पन्न हुआ जो वादगस्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं 2 व 3 के नाम दर्ज करने से लगातार जारी है।

12. यह है कि वादी दवारा जिस वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाने का वाद प्रस्तुत किया गया है, उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सर में स्थित है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्रोधिकार में स्थित होने के कारण्सा उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार श्रवणधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।

13. यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं 6 तहसीलदार लूणी है तथा नियमानुसार राज्य सरकार के प्रतिनिधि के विरुद्व वाद लाने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, किन्तु उक्त वाद में प्रतिवादी सं 6 से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया हैं । प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इस कारण उक्त नोटिस से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली में प्रतिवादी 2 व 3 की ओर से जबाबदावा पेश किया गया और वादीग्रण के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। विशेष तौर पर उनका यह कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उनके पिता के परिवार से 1970 में अपने हिस्सा लेकर हो गये थ। तथा 1972 में मोखिक बंटवाडे एवं लिखित के आधार पर नामकरण संख्या 100 स्वीकृत किया गया था। तदोंपरात वादी एवं प्रतिवादी 2 व 3 के मध्य दिनांक 23.01.2013 को एक राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सख्या 4 ने दिनांक 08.01.20 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रतिवादी सं 4 के वारिसान है तथा पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा में प्रार्थीगण पिता सहमत थे एव उनके वारिसान भी पूर्ण सहमत है उपरोक्त प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर निर्णित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 4 के वारिसान को कोई आपत्ति नही है तथा पूर्ण सहमती है।

प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसान की और से राजीनामा पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.01.2013 के अनुसार पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया । जमाबंदी संवत 2061–64 , 2069–72 के अनुसार खसरा सं 350 रकबा 17. 08 बीघा , खसरा संख्या 356 रकबा 07.18 बीघा , खसरा संख्या 362 रकबा 6.09 बीघा, खसरा सं. 363 रकबा 4.15 बीघा, खसरा सं 372 रकबा 17 बीघा , खसरा नम्बर 380 रकबा 0.18 बीघा गे0मु0 ढाणी , खसरा नम्बर 981 रकबा 43.09 बीघा , खसरा नम्बर 438 रकबा 48.04 बीघा कुल 8 खसरा के रकबा 146.01 बीघा है। जमाबंदी संवत 2024–27 में इन खसरो के अलावा खसरा संख्या 7 रकबा 145 बीघा 3 बिस्वा खसरा 708 रकबा 146 बीघा , 0–06 बीघा का इन्द्राज है इसी तरह जमाबंदी संवत 2028–31 खसरा नं 7 व 8 का इन्दाज किया हुआ है। नामान्तरणकरण संख्या 100 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी सहमति बंटवाडा जरिये हिस्सा अलग–अलग इन्द्राज किये गये। इससे किसी प्रकार का बंटवाडा किया हुआ नहीं है।इसके स्पष्ट है कि वर्णित खसरो की भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है।

इस विवादग्रस्त भूमि के हितबद्व पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 स 4 को समुचित सुनवाई के अवसर दिये गये तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा दिनांक 23.01.2013 एवं प्रतिवादी सं 4 के राजीनामा प्रार्थना पत्रो को अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। इन तमाम माम तथ्यों के परीक्षण से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । उक्त राजीनामा को निर्णय का अंगशुमार समझा जावे । डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर ए एस)
न्यायालय सहायक कलक्टर,
एव उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनाक 3/11/2021 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी